मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 06.10.2025

क्रमांक 1965/0741/2025/सत्रह/मेडि–1 :: भारत सरकार DCGI, CDSCO, New Delhi के दिशा–निर्देश दिनांक 18/12/2023 एवं भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन क्रमांक 1686 दिनांक 15/04/2025 द्वारा FDC of Chlorpheniramine Maleate + Phenylephrine HCI के समस्त कॉम्बिनेशन को 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में उपयोग को प्रतिबंधित करते हुए इन कॉम्बिनेशन में निर्मित औषधियों के लेवल पर Warning:fixed doze combination shall not be used in children below four years is on the label in packeg insert उल्लेख करना अनिवार्य था।

2/ स्पष्ट निर्देशों के पश्चात भी आपके द्वारा उक्त गाईड लाईन का पालन न कराये जाने से विभिन्न दवाओं का क्रय–विक्रय व भण्डारण हुआ है। विगत दिनों परासिया जिला छिन्दवाडा में हुई शिशुओं की दुःखद मृत्यु के संबंध में यह संज्ञान में आया है कि Coldrif सीरप का क्रय–विक्रय/भण्डारणं किया गया है जो कि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं था।

3/ बतौर नियंत्रण प्राधिकारी प्रदेश में उक्त दिशा–निर्देशों का औषधि निरीक्षकों के साथ उचित पर्यवेक्षण कर पालन कराने की जिम्मेदारी आपकी थी, किन्तु आपके द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में गंभीर लापरवाही बरती गई जिसके कारण अपूर्णनीय क्षति की जाकर विभाग की छवि को भी धूमिल कर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में असफल व अक्षम सिद्ध हुए है।

4/ इस प्रकार श्री शोभित कोष्टा, उप औषधि नियंत्रक एवं नियंत्रण प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल ने स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन कर स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

श्री शोभित कोष्टा, उप औषधि नियंत्रक एवं नियंत्रण प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल द्वारा उक्तानुसार प्रकरण में गंभीर लापरवाही बरती जाकर अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से संपादित नहीं करने के परिणामस्वरूप श्री कोष्टा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भोपाल रहेगा। श्री कोष्टा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृष्ठा.क्र.1966 / 0741 / 2025 / सत्रह / मेडि–1 भोपाल, दिनांक 06.10.2025

प्रतिलिपिः– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1/ विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।

2/ निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।

3/ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल।

4/ संभागीय आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।

5/ कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।

6/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।

7/ संभागीय कोष एवं लेखा भोपाल संभाग भोपाल।

8/ जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल ।

9/ श्री शोभित कोष्टा, उप औषधि नियंत्रक एवं नियंत्रण प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल।

10/ गार्ड फाईल।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग